प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उतर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता,**
लघु सिंचाई वृत्त–उ0प्र0।
2. **समस्त अधिशासी अभियन्ता,**
लघु सिंचाई खण्ड–उ0प्र0।

पत्रांकः–1110 /ल0सिं0/कार्य06/टेण्डर0प्र0/2016–17 दिनांक 27 फरवरी, 2017

विषयः– **ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया के संबंध में।**

महोदय,

विभाग में रू0 10.00 लाख के ऊपर के समस्त कार्यो के निर्माण के संबंध में ई–टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू है जिसके अन्तर्गत चेकडैम निर्माण के लगभग सभी मामले ई–टेण्डरिंग व्यवस्था के अधीन आते है। यह संज्ञान में आया है कि फील्ड में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया के दौरान टेण्डर फाइनल करते समय निविदा दाताओं को बगैर अवसर दिये तकनीकी बिड को मात्र इस आधार पर अपात्र कर दिया जाता है कि जो डाक्यूमेन्ट टेक्नीकल बिड में अपलोड किये गये है उनकी हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है। यदि कोई ऐसा डाक्यूमेन्ट है जो निविदा दाता द्वारा टेण्डर प्रकिया में आनलाइन अपलोड किया गया है किन्तु उसकी हार्डकॉपी उपलब्ध नहीं है तो पारदर्शिता के दृष्टिकोण से निविदा दाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिये तथा उन्हें यह स्पष्ट रूप अवगत भी कराया जाना चाहिये कि उन्हें किन कारणों से अपात्र घोषित किया गया है।

अतः उक्त संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपात्र घोषित किये जाने वाले ऐसे सभी प्रकरणों को सावधानी पूर्वक देख लिया जाये और उपरोक्त वर्णित स्थिति में निविदा दाता से लिखित में पूछकर उनसे प्राप्त उत्तर पर सम्यक विचारोपरान्त ही निर्णय लिया जाये।

भवदीय,
24/2/17
(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता

27.2.17

O/C Swati 23.2.17

cabhishek